(31)

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 2252 / पटना, दिनांक 20/07/09
सं.स.–सह./ज.शि.को.–13/09

ATL अनुमोदन हेतु

प्रेषक,
गुप्तेश्वर प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव
–सह–
जन शिकायत पदाधिकारी।

सेवा में,
श्री अमरनाथ मिश्र,
सरकार के उप सचिव,
मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

विषय:–माननीय मुख्य मंत्री की विकास यात्रा–2009 के दौरान श्री चंद्रदेव सिंह, पिता–स्व. वासुदेव प्रसाद सिंह, ग्राम–खानपुर इंगलिश, पो.–खानपुर, जिला–भागलपुर से प्राप्त जन शिकायत पर कृत्त कार्रवाई पत्र (Action Taken Letter) अनुमोदन हेतु प्रेषित।

प्रसंग:–आपका पत्रांक–ज.शि.को. (मु.स.)–04/2009 1338 वि.या. दिनांक 08.06.09 (संदर्भ संख्या–1802930001)

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री की विकास यात्रा–2009 के दौरान श्री चंद्रदेव सिंह से प्राप्त जन शिकायत आवेदन का विषयवस्तु बिस्कोमान से संबंधित था।

2. श्री सिंह के जन शिकायत आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई एवं सुस्पष्ट प्रतिवेदन की माँग प्रबंध–निदेशक, बिस्कोमान, पटना से विभागीय पत्रांक 1687 दिनांक 22.06.09 द्वारा की गयी थी।

उक्त पत्र के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान ने पत्रांक 238 दिनांक 14.07.09 द्वारा एक प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित समर्पित किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री सिंह को बिस्कोमान के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 31.10.06 से छंटनी किया है। श्री सिंह का भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा मदों की राशि के भुगतान पर कार्रवाई की जा रही है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में अगस्त 1996 से जुलाई 1997 की अवधि का बकाया वेतन भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि का बकाया वेतन का भुगतान निधि के अभाव में लंबित है। राशि उपलब्ध होने पर माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में बिस्कोमान के कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान क्रमानुसार किया जाएगा।

प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कृत्त कार्रवाई पत्र (Action Taken Letter) अनुमोदनार्थ समर्पित।

ATL
29/7

विश्वासभाजन

(गुप्तेश्वर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
–सह–
जन शिकायत पदाधिकारी।

Node3\Guest\Documents\Chandra Deo Singh doc

GRAM "BISCOMAUN"

सहकारी

PHONE : 0612-2224987, 2224641, 2226649, 2221101
FAX : 0612-2232377

The Bihar State Co-operative Marketing Union Ltd.

SUBJECT TO PATNA JURISDICTION

POST BOX No. 104 G.P.O.
WEST LAWN
PATNA - 800 001

Ref. No. स्था/भा0 प्र/187/6/238

Dated 14-7-09

सेवा में,

सरकार के उप सचिव
-सह-
जन शिकायत पदाधिकारी,
सहकारिता विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषय:- माननीय मुख्य मंत्री के विकास यात्रा के दौरान/प्राप्त आवेदन पत्र पर त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1687 पटना दिनांक 22-6-
सह0/जन शिकायत को0 13/09

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगें । जिसके अनुसार मुख्य मंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या-180293000। जो मुख्य सचिव जन शिकायत कोषांग द्वारा श्री चन्द्रदेव सिंह, रात्रि प्रहरी ।छटनीग्रस्त। बिस्कोमान शीत भंडार भागलपुर का बकाया वेतन भुगतान करने से सम्बन्धित जानकारी माँगी गयी है ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मुख्यालय। बिस्कोमान। पत्रांक स्था0/बी/911 दिनांक 31-10-06 के अनुसार छटनी किया गया है । जो दिनांक 31-10-06 से प्रभावी है । पत्र की छाया प्रति संलग्न। ।

श्री सिंह का भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा मदों की राशि के भुगतान पर कार्रवाई की जा रही है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश वर्ष 2002 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि से बिस्कोमान के सेवारत, सेवा निवृत एवं मृत कर्मियों के आश्रितों सहित श्री सिंह को भी एक वर्ष यानि अगस्त 96 से जुलाई 97 की अवधि का बकाया वेतन का ।सहसीडीयारी

क्रमश-2

रजिस्टर पेज सं0-97 के अनुसार । भुगतान किया जा चुका है । शेष अवधि का बकाया वेतन का भुगतान निधि के अभाव में लम्बित है ।

निधि की उपलब्धता के लिए बिस्कोमान द्वारा कृषि विभाग, बिहार सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि मो0 13,30,87,093-36 पैसे का दावा किया गया था जिसके विरुद्ध कृषि विभाग द्वारा मात्र मो0 3,91,60,751-08 रुपया बिस्कोमान को राशि मुहैया कराई गई एवं उक्त राशि का उपयोग 31 दिसम्बर 2005 तक के अवधि तक का सेवा निवृत/मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए किया गया।

प्रतिपूर्ति की शेष राशि का भुगतान कृषि विभाग द्वारा नहीं किया गया है । इस राशि के उपलब्ध होने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 01-01-06 से हुए सेवा निवृत/छटनीग्रस्त कार्मिकों को सेवान्त लाभ एवं सभी सेवा निवृत/छटनीग्रस्त कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान क्रमानुसार किया जायेगा ।

सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन

14/7/09

प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक:- यथा वर्णित ।

बिहार राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, पटना

पत्रांक दिनांक

सेवा में,

श्री [illegible]

रात्रि प्रहरी,

[illegible]

विषय: <u>बिस्कोमान की सेवा से हटाने के सम्बन्ध में ।</u>

महाशय,

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक सं०:318 दिनांक 25.09.06 के द्वारा आपसे कई बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की गयी थी । इसकी सूचना स्थानीय अखबार दैनिक 'हिन्दुस्तान' दिनांक 13.10.06 के माध्यम से भी प्रकाशित की गयी थी । आपके द्वारा कारण पृच्छा का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है । अतः निदेशक पर्षद के निर्णय के आलोक में आपको सेवा में रखे जाने का प्रस्ताव नहीं प्रतीत होता है ।

1- आपकी नियुक्ति हेतु न तो कोई विज्ञापन निकाला गया, न तो कोई लिखित अथवा मौखिक परीक्षा ली गई, न ही कोई पैनल तैयार किया गया। नियुक्ति में न तो आरक्षण के बिन्दुओं का पालन किया गया और न ही किसी मान्य निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया । आपकी नियुक्ति निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदबल से अधिक है ।

अतः बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1959 की धारा 33 के प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी नियुक्ति अवैध है ।

2- बिस्कोमान की वर्तमान स्थिति में न तो आपके लिये रात्रि प्रहरी के लिए कोई कार्य है और नहीं वेतन भुगतान के लिए पैसे हैं । वर्ष 1996-97 से ही अधिकांश कर्मियों का वेतन भुगतान राशि के अभाव में लम्बित है । इसी क्रम में आपको भी वर्ष 1997 से ही नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

3- वर्तमान में बिस्कोमान के अधिकांश डीपो (गोदाम) बन्द पड़े हैं अथवा किराये पर लगा दिये गये हैं । लगभग सभी कोल्ड स्टोरेज, खाद कारखाना, राईस मिल इत्यादि अर्द्ध निर्मित एवं घाटे में चलने के कारण बन्द पड़े हैं। निधि के अभाव में इसे पुनः चालू करना संभव नहीं है । साथ ही सरकार के निर्णय के आलोक में बिस्कोमान द्वारा खाद का खुदरा व्यवसाय नहीं कर थोक व्यवसाय करने का निदेश प्राप्त है । उपरोक्त परिस्थिति में गोदाम की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की आवश्यकता नहीं है ।

4- अतः कथित परिस्थिति में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत पदबल से अधिक कर्मचारियों का बोझ वहन करना बिस्कोमान के लिए संभव नहीं है । बिस्कोमान के पुनर्वास योजना के संबंध में सरकार के उच्च स्तरीय बैठकों में भी कर्मचारियों की संख्या को स्वीकृत पदबल तक सीमित करने का निर्देश दिया गया है ।

अतः बिस्कोमान के निदेशक मंडल के प्रस्ताव संख्या-19 दिनांक 20.08.05 के निर्णय के आलोक में आपको तत्काल के प्रभाव से बिस्कोमान की सेवा से हटाया जाता है ।

विश्वासभाजन,

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक स्था०/बी/1911 ... दिनांक 31.10.80

प्रतिलिपि निम्नलिखित ...

1. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
3. [illegible] क्षेत्रीय पदाधिकारी/क्षेत्रीय पदाधिकारी . . . . . .
4. [illegible] प्रबंधक . . . .
5. प्रबंधक, शीत भंडार,
6. भंडार प्रबंधक . . . .
7. सहायक लेखा पदा०, स्था०लेखा/केन्द्रीय लेखा, [illegible]
8. अध्यक्ष के सचिव/प्रबन्ध निदेशक के निजी सहायक, [illegible]

को सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि [illegible] जिनमें कोई प्रभार हो तो उसे [illegible] सेवा मुक्त करें।